23

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 129--एक/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 02--9--15 पारित द्वारा तहसीलदार, गोरखपुर जिला जबलपुर प्रकरण कमांक 16/अ--12/2013--14.

के0 के0 तिवारी पिता स्व. श्री आर0एन0 तिवारी
निवासी रामलाल मंदिर परिसर, ग्वारीघाट,
जिला जबलपुर एवं डी0 डी0 मिश्रा
पिता स्व0 श्री वंशीधर मिश्रा, निवासी झण्डा चौक,
ग्वारीघाट जिला जबलपुर ——— आवेदक

विरूद्ध

ब्रम्हर्षि शासकीय कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति
मर्यादित ग्वारीघाट जबलपुर
द्वारा – अध्यक्ष हेंमत कुमार अग्निहोत्री पिता
स्व0 श्री एस.आर. अग्निहोत्री
निवासी 61 अशोक विहार रामपुर, जबलपुर ——— अनावेदक

श्री रमाकांत तिवारी, अधिवक्ता, आवेदक ।
श्री वी0के0 लहरिया, अधिवक्ता, अनावेदक ।

:: **आदेश** ::

(आज दिनांक 9.11.16 को पारित)

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण न्यायालय तहसीलदार गोरखपुर – 2 जबलपुर द्वारा राजस्व प्रकरण कमांक 16/अ--12/2012--13 में दिनांक 04.07.2015 को किये गये सीमांकन तथा आदेश दिनांक 02.09.2015 से परिवेदित होकर म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक संस्था द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका कमांक 4387/2013 में पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में विधिवत प्रकिया के तहत मौजा ग्वारीघाट स्थित अपने स्वामित्व की भूमियों का सीमांकन टी0एस0एम0 से करने हेतु कमिश्नर, जबलपुर संभाग, जबलपुर के समक्ष आवेदन किया गया, जिस पर से उन्होंने कलेक्टर, जबलपुर को पत्र दिनांक 13--2--15 एवं 23--3--15

द्वारा आवेदक के आवेदन का निराकरण करने के निर्देश दिए । उक्त पत्रों के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही कर तहसीलदार ने 4 सदस्यीय सीमांकन दल गठित कर शीघ्र सीमांकन करने के निर्देश दिए गए । इस पर से सीमांकन दल द्वारा सीमांकन कर अपना प्रतिवेदन तहसीलदार को प्रस्तुत किया गया । प्रकरण में आपत्तिकर्ता राजेन्द्र कुमार अहिरवार द्वारा आपत्ति की गई । तहसीलदार ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत आपत्ति कर्ता द्वारा आपत्ति के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत न करने आपत्ति निरस्त की एवं सीमांकन में अन्य कोई कार्यवाही शेष न होने से प्रकरण नस्तीबद्ध किए जाने के आदेश दिए गए । इस आदेश से व्यथित होकर यह निगरानी पेश की गई है ।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस पेश की गई है जिसमें मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि आवेदक मौजा ग्वारीघाट प.ह.नं. 8, रा.नि.मं. जबलपुर –1 स्थित भूमि खसरा नं. 109 रकबा 0.947 हैक्टेयर भूमि का स्वामी है । उसने अपने स्वामित्व की उपरोक्त वर्णित भूमि का सीमांकन राजस्व प्रकरण क्रमांक 8/अ–12/2005–06 करवाया था जिसमें वर्तमान प्रकरण के अनावेदक ने आपत्ति प्रस्तुत की, अनावेदक की आपत्ति निरस्त की गई थी तथा आवेदक उक्त सीमांकन के अनुसार काबिज है । आवेदक के सीमांकन आदेश दिनांक 25–1–06 को अनावेदक द्वारा किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है । अतः आवेदक का सीमांकन अंतिम हो जाता है और आवेदक की भूमि पर अनावेदक द्वारा कोई अधिकार नहीं बताया जा सकता है ।

यह तर्क दिया गया है कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष सीमांकन आवेदन पेश किया गया, परंतु रिकार्ड में त्रुटि होने से सीमांकन नहीं हो सका । इसके पश्चात अनावेदक ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष कन्टेम्पट याचिका पेश की जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने 16.1.15 को अनावेदक का सीमांकन मान्य करते हुए याचिका समाप्त करदी गई इसके साथ अनावेदक सोसायटी को यह निर्देश दिया कि वह उक्त सीमांकन से असंतुष्ट होने पर उचित फोरम में आपत्ति प्रस्तुत कर सकती है ।

यह तर्क दिया गया कि अनावेदक द्वारा कमिश्नर कार्यालय में सीमांकन हेतु पुनः आवेदनदिया जिस पर से कमिश्नर ने बिना अधिकार एवं नियम विरूद्ध तरीके से अधीनस्थ न्यायालय को पत्र जारी किया है । अनावेदक के सीमांकन में नियमों एवं विधि के मान्य सिद्धांतों की घोर अनियमितता की गई है ।

यह तर्क दिया गया है कि आवेदक को सीमांकन की कोई सूचना नहीं दी गई है । आवेदक के पंचनामे पर हस्ताक्षर भी नहीं है । अनावेदक द्वारा करवाये गये सीमांकन दिनांक 4–7–15 में पारित आदेश के अनुसार आवेदक को अनावेदक की भूमि पर

अतिक्रमण कारी बताया जा रहा है जबकि आवेदक अपने स्वयं के स्वामित्व की भूमिपर दिनांक 25.1.06 को हुए सीमांकन अनुसार काबिज है । उक्त आधारों पर उनके द्वारा प्रश्नाधीन सीमांकन निरस्त करने की प्रार्थना की गयी है ।

4/ अनावेदक की ओर से भी लिखित बहस पेश की गई है जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए सीमांकन के संबंध में यह कहा गया है कि सीमांकन दल द्वारा म0प्र0 शासन के निर्देशानुसार टोटल स्टेशन मशीन के अनावेदक की भूमियों का सीमांकन किया गया है । सीमांकन किए जाने के पूर्व आसपास के सभी कृषकों को सूचना दी गई थी परंतु उनके द्वारा सीमांकन के समय उपस्थित रहने के बाद भी हस्ताक्षर करने से इंकार किया था इसका स्पष्ट उल्लेख दिनांक 5–5–15 के स्थल पंचनामा में है । उनके द्वारा सीमांकन कार्यवाही को विधिवत बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है । अनावेदक की ओर से अपने लिखित तर्क के समर्थन में भी माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय द्वारा याचिका कमांक 4387/2013 में पारित आदेश पत्रिका दिनांक 17.09.2013 की प्रति के साथ–साथ कमिश्नर जबलपुर द्वारा माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेश के परिपालन हेतु पत्र कमांक 363 दिनांक 13.03.2015 एवं स्मरण पत्र कमांक 436 दिनांक 23.05.2015, कलेक्टर जबलपुर द्वारा सीमांकन दल गठित करने का आदेश दिनांक 21.05.2014, तहसीलदार गोरखपुर – 2 जबलपुर द्वारा सीमांकन दल को सीमांकन करने बाबत पारित आदेश दिनांक 05.05.2015 स्थल पंचनामा दिनांक 27.08.2015 एवं तहसीलदार गोरखपुर –2 जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.11.2015 मय सीमांकन नक्शा के प्रस्तुत किया गया है ।

5/ उभय पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत लिखित तर्क तथा दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया गया एवं प्रकरण का सूक्ष्म रूप से परिशीलन किया गया । जहां तक आवेदक की ओर से दिए गए इस तर्क का प्रश्न है कि वह रा.प्र.क. 8/अ–12/2005–06 में किये गये सीमांकन के अनुसार काबिज है, और उक्त सीमांकन पर अनावेदक द्वारा की गई आपत्ति निरस्त कर दी गई थी, जिसे कोई चुनौती अनावेदक द्वारा नहीं दी गई इस कारण उक्त सीमांकन अंतिम हो गया है । इस संबंध में यह पाया जाता है कि, उक्त सीमांकन से इस प्रकरण में हुए सीमांकन का कोई संबंध नहीं है । यदि तर्क के लिए आवेदक के उक्त सीमांकन से संबंधित दस्तावेज फील्डबुक आदि जो अभिलेख में संलग्न हैं का अवलोकन किया जाये तो उक्त सीमांकन कार्यवाही विधिवत प्रतीत नहीं होती है क्योंकि फील्ड बुक के परिशीलन से स्पष्ट है कि उक्त सीमांकन की कार्यवाही में किन्हीं भी स्थायी सीमा चिन्हों का मिलान नहीं किया गया है । माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय

द्वारा 1978 म0प्र0 वीकली नोट्स भाग--2 में नोट कमांक--284 पक्षकार गुलाब सिंह बनाम रंछोर में यह प्रतिपादित किया गया है कि सीमांकन के दौरान कम से कम तीन स्थायी सीमा चिन्हों (सर्वे मार्क्स) का मिलान किया जाना आवश्यक है । माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त न्यायदृष्टांत के प्रकाश में रा.प्र.क. 8/अ--12/2005--06 में हुई सीमांकन की कार्यवाही दोषपूर्ण है तथा उसके आधार पर कोई उपधारणा नहीं की जा सकती है और उक्त सीमांकन के आधार पर आवेदक को इस प्रकरण में कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है ।

6/ जहां तक इस प्रकरण में हुए सीमांकन का प्रश्न है प्रकरण में जो स्थल पंचनामा दिनांक 27.08.2015 संलग्न है उसमें उल्लेख है कि "काबिज क्षेत्र की जानकारी आवेदक/अनावेदकों को बतलाई गई किन्तु काबिज व्यक्तियों द्वारा स्थल पर चिन्हांकन कार्य में अवरोध पैदा करने से व्यवधान उत्पन्न किया गया एवं हस्ताक्षर करने से इंकार किया गया " जिससे स्पष्ट है कि वर्तमान प्रकरण के साथ--साथ सभी कब्जाधारियों का सीमांकन की विधिवत् सूचना दी गयी थी तथा उन्होंने स्थल पंचनामा में हस्ताक्षर करने से इंकार किया था । ऐसी स्थिति में यह कहना कि सीमांकन कार्यवाही विधिवत नहीं है स्वीकार नहीं किया जा सकता । प्रश्नाधीन सीमांकन माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के परिपालन में सीमांकन दल गठित किये जाने के पश्चात् नियमानुसार सीमा चिन्हों का मिलान कर म0प्र0 शासन के निर्देशानुसार टोटल स्टेशन मशीन के द्वारा किया गया है, जो विधिवत् एवं नियमानुसार है, इस कारण उसमें हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है ।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर